

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 15-10-2020

04 ग्राम 19 मिलीग्राम स्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

एसओजी व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार मिश्रा पुत्र विश्वम्भर मिश्रा निवासी भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 04 ग्राम 19 मिलीग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 599 / 2020 धारा 8 / 22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी एसओजी श्री अजय कुमार सिंह व प्रभारी स्वाट श्री सुभाष मौर्य मय टीम।

आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त 1-रामाज्ञा पुत्र रामकृपाल निवासी माझा चहोड़ा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 2- राकेश राजभर पुत्र ननकू 3- जगदीश राजभर पुत्र कबलू निवासीगण बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-15-15 (कुल 40 लीटर) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 613 / 2020, 614 / 2020 व 615 / 2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना महुली पुलिस द्वारा अभियुक्त राममनोज पुत्र रामकृपाल निवासी केवटहिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 315 / 2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा अभियुक्त गोरीशंकर पुत्र दल्ला निवासी गंगासागर पुरवा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 293 / 2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 11 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा विवाद मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 06548 से कालर ने दो पक्षों मे विवाद / मारपीट होने से 02 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 08 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को जरिए एंबुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा प्रतिवादी को पकड़कर विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मे घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई। ।

पीआरवी स्टाफ –आरक्षी अरविंद तिवारी, म0आ0 इन्द्रावती सिंह, म0आ0 अंशु यादव, हो0चा0 सुनील अग्रहरी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 78 वाहनो से 72800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 78 वाहनो से 72800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।